न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 12/2018
दायर दिनांक : 04.06.2018
आदेश दिनांक : 29.08.2025

सुरेश पिता मोहनलालजी सिसोदिया जैन निवासी धांयला तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द, हाल 208/बी सांई किरण, भाईन्दर पूर्व ठाणे (महाराष्ट्र)

— **प्रार्थीगण**

बनाम

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सक्षम अधिकारी/भू अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
2. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये प्रोजेक्ट मैनेजर भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार, राजसमन्द
4. नगर परिषद राजसमन्द

— **विपक्षीगण**

क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ उपधारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997

एवार्ड कमांक 3014(अ) / दिनांक 04.10.2016/दि0 24.04.2017

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री गिरीश तिवारी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3. श्री दिनेश बाफना, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3
4. श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3
5. श्री मुकेश ओस्तवाल, विपक्षी संख्या 4 अनुपस्थित

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

:: निर्णय ::

प्रार्थी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत अंतर्गत धारा 3 जी उपधारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र विरूद्ध अवार्ड क्रमांक 3014(अ)/दिनांक 04.10.2016 दिनांक 24.04.2017 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी द्वारा कांकरोली से भीलवाड़ा फोरलेन निर्माण हेतु वर्तमान में भू अवाप्ति अधिनियम के तहत अधिनियम की धारा 3 की कार्यवाही करते हुऐ भू अवाप्ति की प्रक्रिया के तहत प्रस्तावित रोड निर्माण करने हेतु तय की गई रोड की सीमा में गुजरने वाली भूमि को अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु विपक्षी द्वारा अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है तथा क्लेम आवेदन पत्र एवं आपत्तियां मांगी गई है और मुआवजा अदायगी की कार्यवाही की जा रही हैं। अवाप्तिशुदा भूमि में प्रार्थी की भूमि जो राजस्व ग्राम धोईन्दा तहसील व जिला राजसमंद की आराजी संख्या 3239 रकबा 0.0870 हेक्टेयर को भी सम्मिलित किया गया है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि की

वर्तमान बाजार दर 1500 रूपये प्रति वर्गफीट से भी अधिक है। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि के खातेदार बाबुलाल वगैरा द्वारा करवायी गई थी। धारा 90 बी भू राजस्व अधिनियम के तहत की गयी। उक्त कार्यवाही से उक्त भूमि खातेदारी भूमि से परिवर्तित कर स्थानीय निकाय नगरपालिका राजसमन्द के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गयी। नगरपालिका राजसमन्द द्वारा भूमि के रूपान्तरण की कार्यवाही करते हुए कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ आवासीय रूपान्तरण का पट्टा जरिये मिसल संख्या 292 वर्ष 2007–08 पट्टा संख्या 2588 दिनांक 16.04.2008 जारी किया गया जो मंजुदेवी पत्नी लक्ष्मीकान्त गुर्जर के नाम पर जारी किया गया है। उक्त पट्टेशुदा भूमि को मंजुदेवी ने प्रार्थी सुरेश पिता मोहनलालजी जैन निवासी धायला को विक्रय की है जिसका विधिवत विक्रय विलेख दिनांक 06.02.2009 को प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीयन कराया गया है। जिसके आधार पर प्रार्थी मौके पर काबिज होकर बहैसियत मालिक उक्त भूखण्ड का उपयोग उपभोग कर रहा है। नगर परिषद राजसमन्द में नामान्तरण के विरूद्ध प्रक्रिया नहीं कर रखी है। भूमि राजस्व रेकर्ड में 90 बी के आदेश होने के उपरान्त स्थानीय निकाय के नाम पर दर्ज होती है इस कारण से उक्त भूमि का मुआवजा प्रार्थी के नाम पर जारी नहीं किया गया है। बाजार दर से काफी कम मुआवजा तय किया गया है जबकि इससे लगती हुई भूमि 1500 रूपये प्रति वर्गफीट की दर से विक्रय की गई है। उक्त अवाप्ति कार्यवाही में मुआवजा राशि नेशनल हाईवे प्राधिकरण भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.05.2015 के जरिये यह निर्देशित किया गया है कि भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनःव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत एवार्ड राशि अदा करने के निर्देश दिये गये थे। इस प्रकार वर्ष 2013 भू अवाप्ति अधिनियम के प्रावधान नेशनल हाईवे प्राधिकरण में भी लागू किये जा चुके थे तथा एवार्ड की तारीख से पूर्व यह प्रावधान लागु किये जा चुके थे जिसके अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया जावे। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रार्थी को नये अधिनियम के प्रावधानों की पालना में तय किये गये दिशा निर्देश अनुसार भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 105 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर क्षतिपूर्ति राशि प्रथम अनुसूची के अनुसार तय करने के निर्देश दिये गये हैं लेकिन उक्त प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 लागु होने के उपरान्त भी प्रथम अनुसूची के अनुसार अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा तय नहीं किया गया है। उक्त अनुसार प्रार्थी की मुआवजा राशि तय करवायी जावे तथा मुआवजा/क्षतिपूर्ति राशि के साथ शत प्रतिशत तोषण (solatium) राशि भी प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी की कुल अवाप्तशुदा भूमि 123 वर्गमीटर का मुआवजा 1500/– रूपये प्रति वर्गफीट की दर से 19,84,500/– रूपये देय होता है तथा इस पर दिनांक 04.10.2013 से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज एवं तोषण (solatium) राशि 19,84,500/– रूपये प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की भूमि जो उक्त अवाप्ति की कार्यवाही में अवाप्त की जा रही है उसका मुआवजा उपरोक्त वर्णित अनुसार निर्धारित करवा कर उक्त राशि प्रार्थी को विपक्षी से दिलवायी जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गिरीश तिवारी ने उपस्थिति दी तथा विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश बाफना ने उपस्थिति दी, विपक्षी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा विपक्षी संख्या 4 की ओर अधिवक्ता श्री मुकेश ओस्तवाल ने उपस्थिति दी। तथा अधीनस्थ

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि किन्तु भूमि प्रार्थी के खाते न होकर बिलानाम सरकार न.पा. राजसमन्द के नाम पर अंकित है तथा प्रार्थी द्वारा अब तक कोई क्लेम सप्रमाण पेश नहीं किया गया है, जिससे मुआवजा अदायगी की कार्यवाही लम्बित है। आराजी नम्बर 3239 रकबा 0.0870 हैक्टर किस्म नहरी 3 होना स्वीकार। जिसका 3A 3050 (अ) दि. 28.12.2012 एवं 3 डी 3014 दि. 04.10. 2013 में प्रकाशन हुआ। नियमानुसार तत्समय प्रचलित DLC दर से मुआवजा तय करता है, किन्तु प्रार्थी द्वारा अब तक कोई क्लेम/वैध दस्तावेज पेश नहीं करने से कार्यवाही लम्बित है, तथा प्रार्थी वर्तमान बाजार दर से मुआवजा प्राप्त करना चाहता है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा क्लेम/वैध दस्तावेज पेश नहीं करने से मुआवजा निर्धारण नहीं किया जा सकता है एवं भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 105 के अनुसार NHAI पर उक्त अधिनियम अक्षरशः लागू नहीं होता है तथा RFCTLARR Act 2013 के तहत कार्यवाही विचाराधीन है, शेष प्रार्थना है जो सर्वथा मिथ्या एवं निराधार होने से अस्वीकार पोषणीय नहीं है विपक्षी ने दिनांक 21.10.2013 को सार्वजनिक सूचना द्वारा क्लेम/दावे आमंत्रित किये गये थे। यह सूचना दिनांक 29.10.2013 को समाचार पत्रो में प्रकाशित करवा कर क्लेम/दावे आमंत्रित किये गये थे। इसके बावजूद प्रार्थी ने सप्रमाण निर्धारित 21 दिवस में कोई क्लेम पेश नहीं किया है, अतः प्रार्थी को क्लेम मयाद बाहर होने से उक्त प्रार्थना पत्र पोषनीण नहीं है।

विपक्षी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत धारा 3 A की अधिसूचना क्रमांक 3059 (अ) दिनांक 28.12.12 को प्रकाशित की जाकर प्राप्त अपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् अधिनियम की धारा 3 (घ) की उपधारा (2) के अनुसरण में भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण के भाग द्वितीय खण्ड 3 उपखण्ड (1) में दिनांक 29.10.2013 को प्रकाशित अधिसूचना सं.का.आ. 3014 दिनांक 04.10.2013 द्वारा राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 के 00.000 कि.मी से 30.000 कि.मी (भीलवाड़ा–राजसमंद सेवशन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चारलेन का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिये ग्राम धोईन्दा के खसरा सं. 3239 रकबा 00870 है0 भूमि किस्म नहरी 3 जो राजस्व अभिलेख में बिलानाम सरकार अधिनस्थ नगर पालिका दर्ज है, जो भूमि सभी विवादों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में निहित हो गई है तथा अवाप्तशुदा भूमि का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो मुआवजा निर्धारण किया गया है उस अनुसार राशि जवाबदाता द्वारा सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित कर दी गई है। उक्त अवाप्तशुदा खसरा सं. 3239 रकबा 0.0870 है0 भूमि किस्म नहरी 3 में से तहसीलदार राजसमंद से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार 0. 0557 है0 भूमि (0.0285 है0 आवासीय, 0272 है0 वाणिज्यिक), उपयोग की भूमि है जिसमें से मंजूदेवी पत्नी लक्ष्मीकात की 0.0123 है0 भूमि सम्मिलित है। अधिनियम की धारा 3 A की अधिसूचना दिनांक 28.12.12 के प्रकाशन के पूर्व ही भूमि पंचायत पट्टा तथा आवासीय/वाणिज्यिक रूपांतरण हो चुकी थी जिससे भूमि रूपांतरण पट्टों एवं तहसीलदार राजमसन्द की मौके की रिपोर्ट एवं दिनांक 28.12.2012 को प्रचलित डी.एल.सी. दर अनुसार हितबद्ध व्यक्ति मंजू पत्नी लक्ष्मीकांत की अवाप्तशुदा भूमि रकबा 0.0123 है0 किस्म आवासीय की 3141.92/– प्रति वर्ग मी. से मुआवजा निर्धारण किया गया है, सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 24.04.2017 को अवार्ड पारित करने के बाद ग्राम धोइन्दा तहसील

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

राजमसन्द की अवाप्तशुदा भूमि बाबत् दिनांक 30.10.2018 को RFCTLARR Act 2013 में वर्णित प्रावधानो अनुसार अवार्ड जारी फरमा दिया गया है एवं संशोधित अवार्ड में वर्णित राशि हितबद्ध व्यक्तियो को भुगतान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के द्वारा आदेश प्रदान कर दिया गया है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी जवाबदाता के विरूद्ध सव्यय खारिज फरमाया जावे।

विपक्षी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नियमानुसार राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति संरचना की नियमानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है एवं उस पर नियमानुसार देय मुआवजे की गणना की जाकर मुआवजा राशि विपक्षीगण द्वारा जारी की गयी है। प्रार्थी इसके अतिरिक्त कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। नियमानुसार मुआवजा राशि की गणना की गयी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र विरुद्ध विपक्षीगण सव्यय खारिज फरमावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अवाप्तिशुदा भूमि में प्रार्थी की भूमि जो राजस्व ग्राम धोईन्दा तहसील व जिला राजसमंद की आराजी संख्या 3239 रकबा 0.0870 हेक्टेयर को भी सम्मिलित किया गया है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि की वर्तमान बाजार दर 1500 रूपये प्रतिवर्गफीट से भी अधिक है। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि के खातेदार बाबुलाल वगैरा द्वारा करवायी गई थी और मिसल संख्या 292 वर्ष 2007–08 से पट्टा संख्या 2588 दिनांक 16.04.2008 को जारी किया गया। जो मंजुदेवी पत्नी लक्ष्मीकान्त गुर्जर के नाम पर जारी किया गया है। उक्त पट्टेशुदा भूमि को मंजुदेवी ने प्रार्थी सुरेश पिता मोहनलालजी जैन निवासी धायला को विक्रय की है, जिसका विधिवत विक्रय विलेख दिनांक 06.02.2009 को प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीयन कराया गया है। जिसके आधार पर प्रार्थी मौके पर काबिज होकर बहैसियत मालिक उक्त भूखण्ड का उपयोग उपभोग कर रहा है। नगर परिषद राजसमन्द में नामान्तरण के विरूद्ध प्रकिया नहीं कर रखी है। भूमि राजस्व रेकर्ड में 90 बी के आदेश होने के उपरान्त स्थानीय निकाय के नाम पर दर्ज होती है इस कारण से उक्त भूमि का मुआवजा प्रार्थी के नाम पर जारी नहीं किया गया है। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 105 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर क्षतिपूर्ति राशि प्रथम अनुसूची के अनुसार तय करने के निर्देश दिये गये हैं लेकिन उक्त प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 लागु होने के उपरान्त भी प्रथम अनुसूची के अनुसार अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा तय नहीं किया गया है। उक्त अनुसार प्रार्थी की मुआवजा राशि तय करवायी जावे तथा मुआवजा/क्षतिपूर्ति राशि के साथ शत प्रतिशत तोषण (solatium) राशि भी प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी की कुल अवाप्तशुदा भूमि 123 वर्गमीटर का मुआवजा 1500/– रूपये प्रति वर्गफीट की दर से 19,84,500/– रूपये देय होता है तथा इस पर दिनांक 04.10. 2013 से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज एवं तोषण (solatium) राशि 19,84,500/– रूपये प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि भूमि प्रार्थी के खाते न होकर बिलानाम सरकार न.पा. राजसमन्द के नाम पर अंकित है तथा प्रार्थी द्वारा अब तक कोई क्लेम सप्रमाण पेश नहीं किया गया है, जिससे मुआवजा अदायगी की कार्यवाही लम्बित है। RFCTLARR Act 2013 के तहत कार्यवाही विचाराधीन है। विपक्षी ने दिनांक 21.10.2013 को सार्वजनिक सूचना द्वारा क्लेम/दावे आमंत्रित किये गये थे। यह सूचना दिनांक 29.10.2013 को समाचार पत्रो में

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रकाशित करवा कर क्लेम/दावे आमंत्रित किये गये थे। इस बावजूद प्रार्थी ने सप्रमाण निर्धारित 21 दिवस में कोई क्लेम पेश नहीं किया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

विपक्षी संख्या 2 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम धोईन्दा के खसरा सं. 3239 रकबा 00870 है0 भूमि किस्म नहरी 3 जो राजस्व अभिलेख में बिलानाम सरकार अधिनस्थ नगर पालिका दर्ज है जो भूमि सभी विवादों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में निहित हो गई है तथा अवाप्तशुदा भूमि का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो मुआवजा निर्धारण किया गया है उस अनुसार राशि सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित कर दी गई है। उक्त अवाप्तशुदा खसरा सं. 3239 रकबा 0.0870 है0 भूमि किस्म नहरी 3 में से तहसीलदार राजसमंद से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार 0.0557 है0 भूमि (0.0285 है0 आवासीय, 0.0272 है0 वाणिज्यिक), उपयोग की भूमि है जिसमें से मंजूदेवी पत्नी लक्ष्मीकात की 0.0123 है0 भूमि सम्मिलित है। अधिनियम की धारा 3 A की अधिसूचना दिनांक 28.12.12 के प्रकाशन के पूर्व ही भूमि पंचायत मद्दा तथा आवासीय/वाणिज्यिक रूपांतरण हो चुकी थी जिससे भूमि रूपांतरण पट्टों एवं तहसीलदार राजमसन्द की मौके की रिपोर्ट एवं दिनांक 28.12.2012 को प्रचलित डी.एल. सी. दर अनुसार हितबद्ध व्यक्ति मंजू पत्नी लक्ष्मीकांत की अवाप्तशुदा भूमि रकबा 0.0123 है0 किस्म आवासीय की 3141.92/– प्रति वर्ग मी. से मुआवजा निर्धारण किया गया है, सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 24.04.2017 को अवार्ड पारित करने के बाद ग्राम धोइन्दा तहसील राजमसन्द की अवाप्तशुदा भूमि बाबत् दिनांक 30.10.2018 को RFCTLARR Act 2013 में वर्णित प्रावधानो अनुसार अवार्ड जारी फरमा दिया गया है एवं संशोधित अवार्ड में वर्णित राशि हितबद्ध व्यक्तियो को भुगतान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के द्वारा आदेश प्रदान कर दिया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

विपक्षी संख्या 3 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि नियमानुसार राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति संरचना की नियमानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है एवं उस पर नियमानुसार देय मुआवजे की गणना की जाकर मुआवजा राशि विपक्षीगण द्वारा जारी की गयी है। प्रार्थी इसके अतिरिक्त कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। नियमानुसार मुआवजा राशि की गणना की गयी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र विरुद्ध विपक्षीगण सव्यय खारिज फरमावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। इस प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि का अवार्ड कार्यालय सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द द्वारा दिनांक 24.04.2017 को पारित किया गया। यह अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किया गया। प्रार्थी का इस प्रार्थना पत्र में यह कथन है कि चुंकि प्रार्थी कि अवाप्तशुदा भूमि का अवार्ड 12.05.2015 के बाद जारी किया गया है। इसीलिए इसमें भूमि अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत अवार्ड राशि अदा होनी चाहिए।

प्रश्नगत प्रकरण में अवार्ड का अध्ययन करने पर यह ज्ञात हुआ कि यह अवार्ड अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी नहीं किया गया है। अपितू पुराने अधिनियम के अंतर्गत जारी किया गया है। RFCTLARR Act 2013 के अधिनियम में भारत सरकार के विधि एवं न्याय विभाग द्वारा एक अधिसूचना दिनांक 31.12.2014 को जारी कर संशोधन किया इस संशोधन में धारा 105 को संशोधित किया गया जिसके

अनुसार यदि कोई भी अवार्ड 01.01.2015 के बाद जारी होता है तो RFCTLARR Act 2013 के प्रावधानो के अनुरूप उसकी गणना होनी चाहिए। इस प्रकरण में अवार्ड दिनांक 24.04.2017 को पारित हुआ है। जो कि 01.01.2015 के बाद की तिथि का है। अतः इसमें भी अवार्ड की गणना RFCTLARR Act 2013 के प्रावधानों के अनुरूप ही की जानी चाहिए। इस बिन्दु पर एन. एच आई के अधिवक्ता जो स्वयं उपस्थित थे उनके द्वारा भी इसमें कोई आपति प्रस्तुत नहीं की गयी है। और यह स्वीकार किया कि 01.01.2015 के बाद जो भी अवार्ड जारी हुए हैं उन्हे RFCTLARR Act 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही जारी किये जाने चाहिए। लेकिन प्रकरण में विपक्षी संख्या 02 द्वारा जवाब में अंकित किया गया है कि अवाप्तशुदा भूमि का अवार्ड दिनांक 30.10.2018 को पुनः RFCTLARR Act 2013 के तहत संशोधित कर अवार्ड जारी कर दिया गया हैं परन्तु पत्रावली का अवलोकन करने पर दिनांक 30.10.2018 को जारी किया गया अवार्ड पत्रावली में संलग्न नही पाया गया हैं। अतः यदि पूर्व में 30.10.2018 को RFCTLARR Act 2013 के तहत संशोधित अवार्ड जारी कर दिया गया हो तो उसके अनुरूप भुगतान किया जाये और यदि अवार्ड जारी नही किया गया हो तो RFCTLARR Act 2013 के प्रावधानो के अनुरूप संशोधित अवार्ड जारी करे। अतः यह स्पष्ट है कि यहां प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाना योग्य है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रकरण सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि यदि पूर्व में 30.10.2018 को RFCTLARR Act 2013 के तहत संशोधित अवार्ड जारी कर दिया गया हो तो उसके अनुसार अविलम्ब भुगतान किया जाये और यदि अवार्ड जारी नही किया गया हो तो RFCTLARR Act 2013 के प्रावधानो के अनुरूप संशोधित अवार्ड जारी करे। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थन कार्यालय की मूल अवार्ड पत्रावली कार्यालय सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द